

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)(RAILWAY BOARD)

आरबीई सं. 29/2024

एफ(ई)स्पेशल/2023/एडीवी/3/6(7th सीपीसी)

नई दिल्ली, दिनांक: 22.03.2024

महाप्रबंधक/प्रधान वित्त सलाहकार
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां
महानिदेशक अमास एवं भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी।

विषय: नए फ्लैट की सीधी खरीद के लिए पति या पत्नी के साथ संयुक्त स्वामित्व के मामलों जिनमें रेल कर्मचारी का पति/पत्नी रेल/सरकारी कर्मचारी नहीं है, के संबंध में गृह निर्माण अग्रिम की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषय पर एक क्षेत्रीय रेल से संदर्भ प्राप्त होने पर, नोडल मंत्रालय अर्थात् आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) से स्पष्टीकरण मांगा गया था। अब, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त उत्तर के आधार पर एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि नए फ्लैट की सीधी खरीद के लिए पति/पत्नी के साथ संयुक्त स्वामित्व के मामलों, जिनमें रेल कर्मचारी का पति/पत्नी रेल/सरकारी कर्मचारी नहीं है, में गृह निर्माण अग्रिम की स्वीकृति की अनुमति दी जा सकती है, यदि दोनों भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में फ्लैट बंधक रखने के इच्छुक हैं और इस आशय का वचन दें, बशर्ते आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा उनके दिनांक 09.11.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या L.17011/11(4)/2016-एच-III (बोर्ड के दिनांक 05.12.2017 के पत्र द्वारा रेलवे में परिपत्रित), समय-समय पर यथा संशोधित, जारी गृह निर्माण अग्रिम नियम, 2017 में उल्लिखित अन्य शर्तों का अनुपालन किया जाता हो।

- इसके साथ दक्षिण पूर्व रेलवे के दिनांक 18.08.2023 के पत्र सं एसईआर/पी-एचक्यू/ई-गज/290/एम/1537/एचबीए का भी निपटान किया जाता है।
- कृपया पावती दें।



(संजय पाराशर)

संयुक्त निदेशक वित्त (स्था.)
रेलवे बोर्ड

संलग्नक: कुछ नहीं।

एफ(ई)स्पेशल/2023/एडीवी/3/6(7th सीपीसी)

नई दिल्ली, दिनांक: 22.03.2024

प्रतिलिपि प्रेषित:

- भारत के उपनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(रेलवे) कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।



कृते सदस्य वित्त/रेलवे बोर्ड

एफ(ई)स्पेशल/2023/एडीवी/3/6(7th सीपीसी)

नई दिल्ली, दिनांक: 22.03.2024

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली।
2. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली।
3. राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
4. सेक्रेटरी जनरल, फ़ोआ, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली।
5. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
6. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, आरबीएसएसएसए, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सेक्रेटरी, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, कमरा नं. 7, भूतल, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे इम्प्लाइज़ फेडरेशन/(एआईओबीसीआरईएफ), कमरा नं. 48, रेल भवन, नई दिल्ली।

नवीन

कृते प्रधान कार्यपालक निदेशक (औद्योगिक संबंध) रेलवे बोर्ड